न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 79/2010 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— त्रिलोचनसिंह पुत्र श्री श्रवणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 डी. डी. तहसील पदमपुर, पुलिस थाना गजसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।

——— **अपीलान्ट**

—— **बनाम** ——

राजस्थान राज्य।

——— **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :— श्रीहनुमानसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री गजेन्द्रसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 22.10.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 10.09.2009, जिसमें अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 04/88 तहसीलदार, पदमपुर एवं ओएस सं. 327/88 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 04/88 तहसीलदार, पदमपुर एवं ओएस सं. 327/88 डीएम श्रीगंगानगर बना है, जिस पर 12 बोर डीबीबीएल गन सं. 52542–01 तथा .315 बोर राईफल नं. 87 एबी–1581 दर्ज है, जो दिनांक 31.08.2009 तक नवीनीकृत है। अपीलांट द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण के लिए दिनांक 31.7.09 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 25.08.09 को प्राप्त हुई, जिसमें शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण में कोई आंपत्ति नहीं होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में उल्लेख किया है कि अपीलांट का शस्त्र लाईसेंस सं. 04/88 एमएल गन का तहसीलदार, पदमपुर से बना हुआ है, जिसका ए.डी.एम. श्रीगंगानगर के आदेशानुसार बोर परिवर्तित कर आउट साईड सं. 327/88 डीएम गंगानगर पर खाता खोल कर 12 बोर गन दर्ज कर दिया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गया है और बाद में उस पर अतिरिक्त शस्त्र भी दर्ज किया गया हैं। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 04/88 तहसीलदार, पदमपुर एवं ओएस सं. 327/88 डीएम श्रीगंगानगर को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.09 से निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.9.09 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 10.8.10 को प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विलम्ब के लिए अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थन पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया गया है । अपीलान्ट द्वारा धरा–5 के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में विलम्ब के जो कारण अभिलिखित किये गये हैं, उन्हें सही मानते हुए न्याय हित में विलम्ब को कन्डोन कर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि तहसीलदार, पदमपुर द्वारा आवश्यक जांच के उपरान्त शस्त्र लाईसेंस सं. 04/88 एम.एल.गन का बनाया गया है। अपीलांट ने एम.एल. गन का असला सही नहीं होने के कारण अति. जिला दण्ड नायक, श्रीगंगानगर के समक्ष बोर परिवर्तित करवाने हेतु आवेदन किया। जिस पर जांच के पश्चात् ही बोर परिवर्तित कर ओउट साईड सं. 327/88 डी. एम. श्रीगंगानगर द्वारा जारी किया गया और उस पर 12 बोर राइफल व अतिरिक्त शस्त्र का इन्द्राज किया गया है । अपीलांट अपने उक्त शस्त्र लाईसेंस का समय–समय पर नवीनीकरण नियमित रूप से करवाता आ रहा है। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई है। अपीलांट ने नवीनीकरण हेतु आवेदन किया, परन्तु बार–बार पता करने पर अपीलांट को बताया गया कि पुलिस रिपोर्ट आनी बाकी है। बादे में एक सप्ताह पूर्व पता करने पर बताया गया कि आपका लाईसेंस निरस्त कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस सुनवाई हेतु नहीं दिया गया, आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। नियमानुसार आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को बुलाया जाना, सुना जाना आवश्यक है, जैसाकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न आदेशों में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अपीलांट के खिलाफ किसी प्रकार का फौजदारी या आर्म्स एक्ट में कोई मुकदमा कभी भी दर्ज नहीं हुआ है। अपीलांट शांति प्रिय व्यक्ति है। उसको अपने परिवार एवं पशुधन की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाईसेंस की आवश्यकता है। शस्त्र की सुविधा समाप्त करने से वह अपने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संवैधानिक अधिकारों के उपयोग से वंचित होगा व परिवार की रक्षा से महरूम होगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे ।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री गजेन्द्रसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार, पदमपुर से एम.एल. गन का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया था,बाद में अति.जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष साधारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बोर परिवर्तित करवा लिया और उस पर 12 बोर डीबीबीएल गन व अतिरिक्त शस्त्र का इन्द्राज करवा लिया। प्रकरण में एम. एल. गन के लाइसेंस पर उक्त बोर परिवर्तन आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के विपरीत अति.जिला दण्ड नायक द्वारा किया गया है, जबकि इसके लिये वे सक्षम नहीं थे। अपीलांट ने वर्ष 1988 में एमएल गन का लाईसेंस बनवाया उसके बाद तत्काल ही बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये बोर परिवर्तन करवा लिया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत व उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण अनुसार अपीलांट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने के उद्देश्य से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.7.09 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट का शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण ना करके उसे बिना सुनवाई व बिना नोटिस दिये एकतरफा आदेश पारित कर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है । अपीलांट को अपने परिवार, पशुधन इत्यादि की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता रहती है। परन्तु राज्य पक्ष सहायक लोक अभियोजक का मुख्य रुप से कथन है कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार, पदमपुर से एम.एल. गन का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया था। बाद में ए.डी.एम. श्रीगंगानगर से साधारण प्रार्थना पत्र पर बिना कोई जांच करवाये बोर परिवर्तित करवा लिया और उस पर 12 बोर डीबीबीएल गन व अतिरिक्त शस्त्र का इन्द्राज भी करवा लिया। बोर परिवर्तन आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के विपरीत अति.जिला दण्ड नायक द्वारा किया गया है, जबकि इसके लिये वे सक्षम नहीं थे। अपीलांट ने वर्ष 1988 में एमएल गन का लाईसेंस बनवाया उसके बाद तत्काल ही बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये बोर परिवर्तन करवा लिया, जिससे हम सहमत हैं। प्रकरण में अधिनस्थ पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि बोर परिवर्तन करवाने हेतु अपीलांट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष नियमानुसार आवेदन किया गया हो, उसके संबंध में कोई जांच आदि हुई हो। एमएल गन का लाईसेंस वर्ष

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1988 में बनाया और अतिरिक्त जिला दण्ड नायक के समक्ष साधारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बिना कोई जांच आदि करवाये शस्त्र लाईसेंस का बोर परिवर्तन करवा लिया और आउट साइड नं0 327/88 डीएम श्रीगंगानगर दर्ज करवाया जार उस पर 12 बोर गन व एक अतिरिक्त हथियार भी दर्ज करवाया गया है । उक्त बोर परिवर्तन अति.जिला दण्ड नायक द्वारा किया गया है, जो कि बोर परिवर्तन हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए हम जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2009 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

7. अतः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2009 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर